एमएसएमई में आपात कर्ज योजना की अवधि 3 माह बढ़ी

नई दिल्ली। कोरोना की दूसरी लहर के बीच सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को राहत देते हुए सरकार ने रविवार को इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) का विस्तार कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में आई चुनौतियों को देखते हुए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना का दायरा तीन महीने और बढ़ा दिया है।

सरकार ने रविवार को अपनी 3 लाख करोड़ रुपये की आपात कर्ज योजना को तीन महीने बढ़ाकर 30 सितंबर, 2021 तक कर दिया गया है। अगर योजना के तहत जारी 3 लाख करोड़ रुपये की राशि पहले खत्म हो जाती है, तो अवधि को वहीं समाप्त मान लिया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने अस्पतालों, नर्सिंग होम, क्लीनिक, मेडिकल कॉलेजों को ऑन-साइट ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के लिए दो करोड़ रुपये तक के लोन पर 100 फीसदी गारंटी का भी एलान किया, जिसमें ब्याज दर की सीमा 7.5 फीसदी रखी गई है।

45 हजार करोड़ का और कर्ज दे सकते हैं बैंक

इंडियन बैंक एसोसिएशन के सीईओ सुनील मेहता ने कहा है कि आपात कर्ज गारंटी योजना के तहत बैंक अब तक 2.54 लाख करोड़ के कर्ज को मंजूरी दे चुके हैं। इसमें से 2.40 लाख करोड़ रुपये बांटे भी जा चुके हैं। लिहाजा उनके पास महज 45 हजार करोड़ की राशि ही कर्ज देने के लिए शेष है। वित्त मंत्रालय ने कुल 3 लाख करोड़ रुपये इस योजना के तहत मंजूर किए थे। एजेंसी

दूसरी इकाइयों के लिए भी स्कीम की अवधि बढ़ी

मंत्रालय ने एमएसएमई और दूसरी इकाइयों के लिए स्कीम की अवधि बढ़ा दी है। 5 मई 2021 की गाइडलाइंस के मुताबिक, जो उद्यम पुनर्गठन के योग्य हैं और ईसीएलजीएस 1.0 के तहत उधार लिया है। इसमें चार साल के लिए ब्याज का पुनर्भुगतान पहले 12 महीनों में शामिल है और आगे 36 महीनों में मूल और ब्याज का पुनर्भुगतान किया जा सकता है,

वे अब पांच साल का फायदा ले सकेंगे। इसके तहत पहले 24 महीनों के लिए केवल ब्याज का पुनर्भुगतान और बाद के 36 महीनों में प्रिंसिपल और ब्याज का पुनर्भुगतान शामिल है। नई योजना के तहत 500 करोड़ रुपये लोन बकाया होने की बाध्यता को हटा दिया है। इसमें हर कर्जधारक को अतिरिक्त सहायता की सीमा 40 फीसदी या 200 करोड़ रुपये, जो भी कम है, बताई गई है।

2,000 करोड़ का फंड बनाएंगे : एसबीआई

सरकार ने गारंटी कर्ज योजना के तहत एमएसएमई नियमों में बदलाव किया है। इसके लिए बैंक 2 हजार करोड़ का फंड बना सकता है। सभी सरकारी बैंक कर्ज पुनर्गठन की प्रक्रिया पर भी आगे बढ़ रहे हैं। पिछले साल 8.5 लाख योग्य एमएसएमई में से महज 60 हजार कर्जधारकों ने ही अपना कर्ज पुनर्गठन कराया था। -दिनेश खारा, चेयरमैन, एसबीआई

ईपीएफओ और ईएसआईसी के तहत आने वाले कर्मियों के लिए अतिरिक्त सुविधाओं का एलान

नई दिल्ली। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने रविवार को ईपीएफओ और ईएसआईसी के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं मुहैया कराने का एलान किया। ये सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत उपलब्ध कराई जाएंगी। इसमें कर्मचारी प्रदेश बीमा निगम (ईएसआईसी) के तहत आने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को पेंशन की व्यवस्था की गई है। ईएसआईसी से बीमित कर्मचारी की मृत्यु कोरोना के चलते होती है तो उसके आश्रित को पेंशन दी जाएगी। वह कर्मचारी जिस कंपनी में ईपीएफओ के तहत डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (ईडीएलआई) से जुड़ा होगा, उसके सम एस्योर्ड को 6 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है। जो भी अतिरिक्त सुविधाएं मिलेंगी, उसके लिए कर्मचारियों को अलग से शुल्क नहीं चुकाना होगा। ईएसआईसी के तहत कर्मचारियों के आश्रितों को अभी उस वक्त पेंशन मिलती थी जब काम के दौरान मृत्यु होती थी या बड़ी दुर्घटना हो जाती थी।

ठेके के कर्मचारियों को भी मिलेगा लाभ : ईडीएलआई से जुड़े किसी कर्मचारी की कोरोना से मौत पर उसके सभी आश्रितों को ईडीएलआई की सुविधाएं दी जाएंगी। ईडीएलआई के अंतर्गत पहले कर्मचारी के आश्रितों को 6 लाख बीमा का लाभ मिलता था जिसे 7 लाख कर दिया गया है। अगर कर्मचारी ने कंपनी में लगातार 12 महीने काम किया है तो मृत्यु के बाद उसके परिवार को 2.5 लाख का बीमा मिलता है। एक साल के नियम के चलते ठेके पर काम करने वाले श्रमिकों को इस बीमा सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता था। अब वे भी इस बीमा के हकदार होंगे। एजेंसी